न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/47/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/212

अपीलार्थी
कर्नल सुनील दत्त (से.नि.)
नि0 सी–47, अंसल टाउन, 200फीट रोड,
सदर थाना के पास, अलवर–301001

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 29.04.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 10.05.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने सूचना आवेदन दिनांकः 17.02.2022 के माध्यम से लाईसेंस नं. एसडब्ल्यूडीसी/3/2011/1050 के रजिस्ट्रेशन एवं रिन्यूवल, पिस्टल नं. 7.62एमएम रजि. नं. 33020482 (एनएसपी) यूआईडी नं. 32560012083982015 के रि–रजिस्ट्रेशन के संबंध में सूचना चाही गई थी।
4. वांछित सूचना नहीं मिलने के आक्षेप पर अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांकः 28.04.2022 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को सूचित करते हुए पत्रांकः 1107 दिनांकः 05.05.2022 मय संलग्नक, जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी द्वारा अपील में आक्षेपित तथ्यों व प्रथम सूचना आवेदन में वांछित सूचना के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब/सूचना पर गौर/मनन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना के संबध में नियंत्रणाधीन अनुभाग न्याय प्रकोष्ठ से जानकारी प्राप्त कर वस्तुस्थिति से सूचित किया जा चुका हैजिसके अनुसार प्रकरण में गृह(गृप–9) विभाग, राज. सरकार से प्रश्नगत मार्गदर्शन प्राप्त होने पर ही तद्नुसार कार्यवाही निष्पादित की जा सकती है।
7. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय/देय सूचना उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
8. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 10.05.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया। ।

(शिवप्रसाद नकाते)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)